



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं० पटना 569) पटना, सोमवार, 8 जून 2026

सं० सं० ल0ज0सं०/न0को०/रा०न०यो०-06/2026—175 (ल0को०)

लघु जल संसाधन विभाग

संकल्प

29 मई 2026

विषय:— विभागीय संकल्प संख्या-992 दिनांक 04.02.2019 द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मती, संचालन एवं रख-रखाव का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किये जाने के संबंध में।

लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत नलकूपों का सुचारु रूप से संचालन एवं रख-रखाव अत्यन्त महत्वपूर्ण है, ताकि बिहार राज्य के किसानों को सहजतापूर्वक एवं समुचित ढंग से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। इसे दृष्टिगत रखते हुए ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक-992 दिनांक-04.02.2019 द्वारा सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मती, संचालन एवं रख-रखाव हेतु पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया गया था।

2. पंचायतों में तकनीकी कर्मियों की कमी, चुनाव के कारण जनप्रतिनिधियों के बदलाव एवं पंचायत स्तर पर अपर्याप्त प्रशासनिक कर्मियों की कमी के कारण राजकीय नलकूपों का मरम्मति/जीर्णोद्धार कार्य, रख-रखाव व संचालन कार्य की अपेक्षित प्रगति एवं अभिलेख संधारण में कठिनाई होती है।

3. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभियंताओं की नियुक्ति के फलस्वरूप लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सभी प्रमंडलों में सहायक अभियंताओं को पदस्थापित किया गया है। मध्यावधि में बिहार तकनीकी चयन आयोग द्वारा कनीय अभियंता की नियुक्ति से लघु जल संसाधन विभाग में प्रखंड स्तर पर तकनीकी कार्यबल की कमी का भी निराकरण हुआ है, जिससे राजकीय नलकूपों के मरम्मति एवं संचालन में मदद मिलेगी।

4. उपर्युक्त स्थिति के सम्यक् समीक्षोपरान्त पंचायतों से मरम्मति का कार्य वापस लेते हुए विभाग द्वारा ही नलकूपों के मरम्मति का कार्य किये जाने की आवश्यकता अनुभूत की गयी। उक्त विभागीय निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-992 दिनांक-04.02.2019 द्वारा ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मति, संचालन एवं रख-रखाव का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किये जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव है :-

- (i) विभागीय संकल्प ज्ञापांक-992 दिनांक-04.02.2019 द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित राजकीय नलकूपों के संचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी पूर्ववत लघु जल संसाधन विभाग की होगी।
- (ii) नलकूपों की मरम्मति पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय लघु जल संसाधन विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

- (iii) लघु जल संसाधन विभाग अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर सिंचाई शुल्क से संबंधित अलग से आदेश निर्गत करेगा।
- (iv) कृषि कार्य हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अनुदानित दर पर विद्युत विपत्र का भुगतान लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (v) मरम्मत के कार्य से संबंधित लेखा का संधारण कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार को प्रत्येक माह इसकी सूचना दी जायेगी।
- (vi) पूर्व में निर्गत एतद् विषयक सभी संकल्प/अनुदेश इस निर्णय के संसूचित किये जाने की तिथि से निरस्त/अवक्रमित समझे जायेंगे।
- (vii) राजकीय नलकूपों का मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसके सफल संचालन हेतु विभागीय निगरानी में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर संचालन समिति का गठन कर नलकूपों को संचालित किया जायेगा।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
बी० कार्तिकेय धनजी,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 569-571+1000-डी०टी०पी०
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>